



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-245035
CG-DL-E-08042023-245035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593]
No. 1593]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 1672(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 4075 (अ) तारीख 31.08.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii), तारीख 31.08.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-144A कि.मी. 30+000 से 46+450 कि.मी. तक (अखनूर से पुँछ रोड सेक्शन-1) के भूखण्ड के निर्माण (2-लेन का बनाने/चैड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लोक उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपरा (3)के अधीन "दैनिक एक्सेलसियर" में 19/09/2022 और "उद्गान" में 19/09/2022 को प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है। 3क की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

जम्मू एण्ड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू जिले में राजमार्ग संख्या **NH-144A** कि.मी. **30+000** से **46+450** कि.मी. तक (अखनूर से पुँछ रोड-सेक्शन-1) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: अखनूर				
	गांव का नाम: गंधारवन मोहरा तांडा				
1	650	निजी	असिंचित	0.0682907	संजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश वेंदी (६५०)
2	699	निजी	असिंचित	0.0834664	संजीव कुमार पुत्र बाबू राम वेंदी समान भाग (६९९)
3	699	निजी	असिंचित	0.0075879	अश्विनी कुमार पुत्र गिरधारी लाल निवासी पटोली ब्राह्मण वेंदी (६९९)
4	710	निजी	असिंचित	0.017705	संजीव कुमार पुत्र बाबू राम निवासी अखनूर वेंदी (७१०)
			कुल	0.1771	

[फा. सं1/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1672(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Ministry of Road Transport and Highways number S.O. **4075 (E)** dated **31.08.2022**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/2-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway **No. NH-144A** on the stretch

of land from Km. 30+000 to 46+450 Km. (**Akhnoor to Poonch-Road Section-1**) in the district of **Jammu** in the State of (UT) Jammu & Kashmir.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Daily Excelsior**” dated **19 Sep. 2022** and “**Udaan**” dated **19 Sep. 2022** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 30+000 to 46+450 Km. (**Akhnoor to Poonch Road Section-1**) of the National Highway **No NH-144A** in the District of **Poonch**, in the State of (UT) Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akhnoor					
Village: Gandharwan Mohra Tanda					
1	650	Private	Non-irrigated	0.0682907	Sanjay Kumar S/O Om Prakash Vendee 650
2	699	Private	Non-irrigated	0.0834664	Sanjeev Kumar S/O Babu Ram Vendees in Equal Share 699
3	699	Private	Non-irrigated	0.0075879	Ashwani Kumar S/O Girdhari Lal R/O Patoli Brahmana Vendee 699
4	710	Private	Non-irrigated	0.017705	Sanjeev Kumar S/O Babu Ram R/O Akhnoor Vendee 710
			TOTAL	0.17705	

[F. No. 1/3D]
ABHAY JAIN, Dy. Secy.